

**राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा**

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 7872

दिनांक:- 24/09/25

आदेश संख्या:- 401/2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिशचन्द्र माधुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (रीपा), पुराने आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, डीसीएम रोड़ कोटा-324007 में दिनांक 25.09.2025 से 29.10.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के पांच सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 25.09.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Posting Office
1.	2.	3.	4.
1.	714170	PRASHANT GUPTA	REGISTRAR - 1000146 , BRIJ UNIVERSITY (EX CADRE POSTS) , BHARATPUR , BHARATPUR
2.	712015	SACHIN KUMAR	BCMO - 22677 , MEDICAL AND HEALTH , BHUSAWAR , BHARATPUR
3.	716332	SANDEEP LAVANIYA	CBE0 - 1626 , EDUCATION (ELEMENTARY) , WAIR , BHARATPUR
4.	712648	AJAY KUMAR DHAKAD	SUB TREASURY OFFICER - 8000020 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BHUSAWAR , BHARATPUR
5.	711855	VIPIN SHARMA	X. EN QC - 18837 , PUBLIC WORKS DEPARTMENT , BHARATPUR , BHARATPUR
6.	712964	PINTU SAINI	SOCIAL SECURITY OFFICER, UCHHAIN, BHARATPUR- 8002034
7.	716241	DIGAMBAR DAYAL	DY. DIRECTOR - 5017 , AGRICULTURE , BHARATPUR , BHARATPUR
8.	715540	HEMANT MEENA	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 17998 , LFAD , BHARATPUR , BHARATPUR
9.	714844	KEERTI	MEDICAL OFFICER CHC - 22689 , MEDICAL AND HEALTH , BAYANA , BHARATPUR
10.	716901	LOKESH MEENA	TEHSILDAR - 28165 , REVENUE DEPARTMENT , BHUSAWAR , BHARATPUR
11.	714788	MAN SINGH JATAV	SUB TREASURY OFFICER (PENSION) - 20520 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BHARATPUR , BHARATPUR
12.	715823	UDIT SHARMA	JOINT DIRECTOR - 20189 , MEDICAL AND HEALTH , BHARATPUR , BHARATPUR
13.	716409	DEEPAK MEENA	SECRETARY BHARATPUR DEVELOPMENT AUTHORITY - 8001931 , URBAN DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT , BHARATPUR , BHARATPUR
14.	713345	BHAVANA SHARMA	TREASURY OFFICER - 1097 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BHARATPUR , BHARATPUR
15.	711271	AKSHAY MEENA	COLLECTOR - 23878 , REVENUE DEPARTMENT , BHARATPUR , BHARATPUR
16.	753350	PREM SINGH GURJAR	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 17022 , LFAD , KOTA , KOTA
17.	783912	YOGESH KUMAR DIVEDI	TREASURY OFFICER - 1114 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JHALAWAR , JHALAWAR
18.	786911	RADHE SHYAM MEENA	MEDICAL OFFICER CHC - 23254 , MEDICAL AND HEALTH , AKLERA , JHALAWAR
19.	788414	DURGALAL BHEEL	SECRETARY - 8001353 , KRISHI UPAJ MANDI SAMITI (EX CADRE POSTS) , AKLERA , JHALAWAR
20.	784521	PANKAJ KUMAR MEENA	TREASURY OFFICER - 1114 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JHALAWAR , JHALAWAR

21.	716198	VIKAS KUMAR SONI	CMHO - 20258 , MEDICAL AND HEALTH , KARAULI , KARAULI
22.	726252	MANRAJ MEENA	SOCIAL SECURITY OFFICER - 3000450 , SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT , SAPOTRA , KARAULI
23.	741179	GIRISHANT	MEDICAL OFFICER CHC - 23359 , MEDICAL AND HEALTH , KAITHOON , KOTA
24.	757497	ISHWAR SINGH YADAV	SUPDT. NEW HOSPITAL - 20093 , MEDICAL EDUCATION , KOTA , KOTA
25.	728950	KHUSHI RAM	COMMISSIONER - 1000497 , NAGAR NIGAM(EX CADRE POSTS) , KOTA , KOTA
26.	736039	RAJENDRA GADWAL	JOINT DIRECTOR - 909 , PENSION AND PENSIONERS WELFARE , KOTA , KOTA
27.	730139	SURBHI MEENA	C.E.O. ZILA PARISHAD (PANCHAYAT CELL) - 2107 , PANCHAYATI RAJ , SAWAI MADHOPUR , SAWAI MADHOPUR
28.	736289	PANKAJ AGRAWAL	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 17998 , LFAD , BHARATPUR , BHARATPUR
29.	726530	JAGDISH JAT	JOINT DIRECTOR (R.O.) - 17022 , LFAD , KOTA , KOTA
30.	757031	MAHENDRA SINGH MEENA	CDPO - 22829 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , SHAHABAD , BARAN
31.	757131	RAMVEER MEENA	CBEQ, SMSA - 8001251 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , MANGROL , BARAN
32.	752445	GOVIND YADAV	TREASURY OFFICER - 1127 , TREASURIES AND ACCOUNTS , TONK , TONK
33.	768736	KAMLESH GURJAR	CDPO - 8001121 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , PIPLU , TONK
34.	737604	HARI SINGH CHOUDHARY	TREASURY OFFICER - 1127 , TREASURIES AND ACCOUNTS , TONK , TONK
35.	752991	KEDAR GURJAR	TREASURY OFFICER - 1127 , TREASURIES AND ACCOUNTS , TONK , TONK
36.	759715	AXITA SHARMA	BCMO - 23531 , MEDICAL AND HEALTH , TONK , TONK
37.	768210	BHAWANA GURJAR	DY. DIRECTOR - 22781 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , TONK , TONK
38.	714893	KARMENDRA MEENA	TEHSILDAR - 24328 , REVENUE DEPARTMENT , KUMHER
39.	716637	ISHAN SHARMA	CHIEF DISTRICT EDUCATION OFFICER, SMSA - 8000077 , RAJASTHAN SCHOOL EDUCATION COUNCIL SSA (EX CADRE POSTS) , BHARATPUR , BHARATPUR
40.	785939	RAVIKANT MEENA	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) - 6909 , TREASURIES AND ACCOUNTS , MANOHAR THANA , JHALAWAR
41.	750822	CHANDRA PRAKASH MEENA	CDPO - 23195 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , ALIGARH , TONK
42.	786618	PRATIBHA SHARMA	-----
43.	750614	JYOTI KUMARI MEENA	-----
44.	783838	PAWAN KUMAR GURJAR	-----
45.	711572	VIMAL KUMAR MEENA	-----
46.	716549	ANOOP KUMAR SHARMA	-----
47.	712643	YADVENDRA SINGH GURJAR	-----
48.	761029	RAJESH KUMAR GURJAR	-----

49.	789341	PREETI NAGAR	-----
50.	771472	AJEET SINGH MEENA	-----
51.	747333	SUNITA MEENA	-----
52.	746190	JITENDRA KUMAR MEENA	-----
53.	716726	NISHA AGRAWAL	-----
54.	711653	RAHUL KUMAR MEENA	-----
55.	788519	DHEERENDRA KUMAR NAGAR	-----
56.	711540	NIKETA MEENA	-----
57.	786131	LALCHAND RATHOR	-----
58.	716446	NEHA	-----
59.	714106	KIRTI JORWAD	-----
60.	761588	AASHIRVAAD SHARMA	-----
61.	714039	MUKESH KUMAR	-----

उक्त प्रशिक्षण की अवधि पांच सप्ताह (सोमवार से शनिवार) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा एवं प्रतिदिन 05 व्याख्यान (लेक्चर) होंगे। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

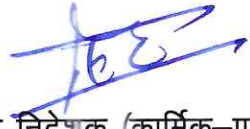
नोट:- क्रम संख्या 42 से 61 पर अंकित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25.09.2025 को सर्वप्रथम कोषालय, कोटा में नियुक्ति सम्बन्धित समस्त दस्तावेज कोषाधिकारी, कोटा को प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करते हुए नियमानुसार कोषालय, कोटा से कार्यमुक्त होने के पश्चात दिनांक 25.09.2025 को ही प्रशिक्षण में उपस्थिति देंगे।


 (बृजेश किशोर शर्मा)
 निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / २४३९
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- २५/११/२५

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (रीपा), पुराने आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने छत्रपुरा, रामचन्द्रपुरा, डीसीएम रोड़ कोटा-324007 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. कोषाधिकारी, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 42 से 61 पर अंकित कार्मिकों के सम्बन्ध में नियुक्ति आदेश संख्या 396 दिनांक 24.09.2025 में वर्णित शर्तों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।
6. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)